राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2182/2014 श्रीमती शशिकला शर्मा	1. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, गांधीनगर, जयपुर। 2. उप निदेशक, प्रशासन महिला एवं बाल विकास विभाग, गांधीनगर, जयपुर।	03.12.2014	श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	2213/2014 श्रीमती विजयरानी जैन		15.12.2014	
3.	2242/2014 श्रीमती भगवती शर्मा		22.12.2014	
4.	2243/2014 श्रीमती माया लखेरा			

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2182/2014 श्रीमती शशिकला शर्मा बनाम निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, गांधीनगर, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण को प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.10.1993, 11.02.1994, 20.10.1993 एवं 20.10.1993 (क्रमशः) से सेवा में निरंतर मानते हुए 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे तथा आदेश दिनांक 10.01.2011 को अपास्त किया जावे एवं उनकी वरिष्ठता को भी ध्यान में रखते हुए उचित स्थान पर अंकित किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 20.10.1993 के द्वारा ग्राम सेविका के पद पर वेतन श्रृंखला 950–1120–1680 के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, सीकर में हुई और राज्य सरकार द्वारा मार्च, 2000 से मुख्य सेविका एवं ग्रामीण सेविका के पद समाप्त कर दिए गए तथा अपीलार्थी को महिला पर्यवेक्षक के पद पर निरंतर सेवा के परिणामस्वरूप आमेलन करते हुए पदस्थापित किया गया और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण

होने पर आदेश दिनांक 24.11.2003 के द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। 18 वर्ष की निरंतर सेवा दिनांक 20.10.2011 पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान नियमानुसार देय है, परंतु उक्त पद समाप्त होने के बाद दिनांक 31.03.2000 से महिला पर्यवेक्षक के पद पर अपीलार्थी 3600 ग्रेड पे प्राप्त करने की अधिकारी है तथा जुलाई, 2013 से ग्रेड पे 4200 प्राप्त करने की अधिकारी है। परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2011 के द्वारा अपीलार्थी को द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 के अनुसार 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। परंतु अपीलार्थी को द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना उक्त आदेश के विपरीत है। अपीलार्थी को दिनांक 20.10.1993 से वरिष्ठता की गणना समस्त लाभ प्रदान किया जाना न्यायसंगत है। अपीलार्थी को प्रमोशन चैनल में शामिल नहीं कर तथा आदेश दिनांक 10.01.2011 के द्वारा 18 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय चयनित वेतनमान जो कि अपीलार्थी का दिनांक 25.10.2011 को पूर्ण हो गया था। प्रत्यर्थी विभाग ने अनुचित रूप से वंचित करते हुए उसके विपरीत आदेश जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है और आदेश दिनांक 05.05.2010 को महिला पर्यवेक्षक के कैडर में कनिष्ठतम माना जाने का आदेश में वर्णित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने लिखित बहस में यह भी कथन किया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2011 के द्वारा उक्त लाभ देने से मना किया गया है। विभाग ने चुनौती आदेश में यह माना है कि ग्राम सेविकाओं से समायोजित होकर महिला पर्यवेक्षक बनाई गई कर्मचारियों को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा दे दिया गया, पर अपीलार्थी परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के आधार पर 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ वेतन श्रृंखला 5500–9000 में एवं दिनांक 22.10.2011 से 27 वर्षीय चयनित वेतनमान 6500–10500 जो नए वेतनमान के अनुसार ग्रेड पे 6000 प्राप्त करने की अधिकारी है। माननीय उच्च न्यायालय व अधिकरण ने भी अनेक प्रकरणों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि दिनांक 25.01.1992 के परिपत्र के आधार पर कर्मचारियों को 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे।

अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता के द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस जारी कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण को प्रथम नियुक्ति दिनांक

22.10.1993, 11.02.1994, 20.10.1993 एवं 20.10.1993 (क्रमशः) से सेवा में निरंतर मानते हुए 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे तथा आदेश दिनांक 10.01.2011 को अपास्त किया जावे एवं उनकी वरिष्ठता को भी ध्यान में रखते हुए उचित स्थान पर अंकित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 10.01.2011 प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं राजहित में जारी किया गया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 20.10.1993 से ग्राम सेविका के पद पर वेतन श्रृंखला 950–1680 द्वारा नियुक्ति प्रदान कर इन्हें जिला ग्रामीण विकास अधिकरण सीकर में पदस्थापित किया गया।

आदेश दिनांक 01.03.2000 द्वारा योजना के समाप्त हो जाने के कारण समस्त कार्यरत ग्राम सेविकाओं/मुख्य सेविकाओं को बाल विकास परियोजनाओं कार्यालयों में महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद के विरूद्ध आदेश दिनांक 05.05.2010 द्वारा राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 के नियम 27 ख के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 22.04.2010 को सम्पन्न बैठक में राज. महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीन्स्थ) सेवा संशोधन नियम 2009 में ग्राम सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किये जाने के प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर इन ग्राम सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षक के पद पर श्रृंखला 5200–20200 ग्रेड पे 2100 में दिनांक 13.10.2009 से पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर विभागीय आदेश दिनांक 24.11.2003 द्वारा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 22.10.2000 से प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के निर्णय से ग्राम सेविकाओं को प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 स्वीकृत किया गया। उसी के अनुरूप अपीलार्थी को भी आदेश दिनांक 24.11.2003 के द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 दिनांक 22.10.2000 से स्वीकृत किया गया। अपीलार्थी प्रथम चयनित वेतनमान के रूप में 5000–8000 का वेतनमान ही प्राप्त कर रही है। अपीलार्थी को 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जायेगा क्योंकि वह पूर्व में ही उससे अधिक वेतनमान प्राप्त कर रही है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.05.2010 के द्वारा महिला पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और 9 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर प्रथम चयनित

वेतनमान 5000–8000 स्वीकृत किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि चयनित वेतनमान के रूप में आगामी वेतनमान दिए जाने चाहिए। अपीलार्थी को प्रथम चयनित वेतनमान दिया गया, जो आज तक संशोधित नहीं किया गया व इसी आधार पर आगामी 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.10.1993, 11.02.1994, 20.10.1993 एवं 20.10.1993 (क्रमशः) ग्राम सेविका के पद पर वेतन श्रृंखला 950–1120–1680 के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अधिकरण में हुई और राज्य सरकार द्वारा उक्त पद समाप्त कर दिए जाने के कारण अपीलार्थीगण को महिला पर्यवेक्षक के पद पर निरंतर सेवा के परिणामस्वरूप आमेलन करते हुए पदस्थापित किया गया और उन्हें 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर आदेश दिनांक 24.11.2003 के द्वारा प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। जहां तक अपीलार्थीगण को 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 10.01.2011 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि ग्राम सेविकाओं को चयनित वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में आदेश दिए गए की जिनकी दिनांक 01.09.2006 के पूर्व प्रथम चयनित वेतनमान पात्रता होने पर लाभ नहीं दिया गया, उन्हें प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में स्वीकृत किया जायेगा तथा जिनको प्रथम चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें उन आदेशों की अतिक्रमण में प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 को व्यक्तिगत वेतनमान के रूप में स्वीकृत किया जायेगा। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 के अन्तर्गत ग्राम सेविकाओं का वेतन स्थिरीकरण विद्यमान व्यक्तिगत वेतनमान 5000–8000 के आधार पर रनिंग पे बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 3200/– में वेतन स्थिरीकरण किया जायेगा जो व्यक्तिगत होगा। इन्ही ग्राम सेविकाओं की विभागीय आदेश दिनांक 05.05.2010 से महिला पर्यवेक्षक के पद पर वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे 2100 में पदोन्नति हुई है। चूंकि पदोन्नति पद महिला पर्यवेक्षक की ग्रेड पे 2100 से है तथा व्यक्तिगत ग्रेड पे 3200 है अथवा पदोन्नति पर उन्हें वेतन स्थिरीकरण का कोई लाभ देय नहीं है। ये यथावत व्यक्तिगत रनिंग पे बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 3200 में वेतन प्राप्त करते रहे है। इस प्रकार 18 वर्ष एवं 27 वर्षीय सेवापूर्ण होने पर ग्रेड पे 2400 एवं 2800 है,

जो अपीलार्थी द्वारा आहरित रनिंग पे बैण्ड 9300–34800 ग्रेड पे 3200 से कम है। अतः अपीलार्थीगण को व्यक्तिगत वेतनमान रनिंग पे बैण्ड से अधिक दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थीगण की अपील में कोई बल नहीं होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2182/2014 श्रीमती शशिकला शर्मा बनाम निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, गांधीनगर, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य